




न्यायालय, समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया।

आदेश-पत्रक
(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

आदेश पत्रक-ता०.....से.....
जिला-खगड़िया.....,सा०.....,सन्.....
.....केस का प्रकार:-बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अर्न्तगत जप्त
देशी शराब को विनष्ट करने के संबंध में। वाद संख्या:- 137/2019-20 राज्य बनाम थाना पौरा
कांड संख्या:-196/2019

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित 3.
24.08.2019	<p>बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 की धारा 30(ए) के तहत थाना, पौरा में दर्ज कांड संख्या:-196/2019 दिनांक 17.08.2019 में जप्त विदेशी शराब के विनष्टीकरण हेतु पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 2278/हि०शा०, दिनांक 02.08.2019 के द्वारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ थानाध्यक्ष, पौरा के संलग्न प्रतिवेदन तथा तलासी-सह-जप्ती सूची के अवलोकन से स्पष्ट है कि जप्त 750 एम०एल० का 28 बोतल विदेशी शराब में से 750 एम०एल० का 01 बोतल विदेशी शराब माननीय न्यायालय के निदेशानुसार रसायन परीक्षक, बिहार, पटना को जाँच हेतु भेजा गया है, तथा शेष 750 एम०एल० का 27 बोतल कुल-20.25 लीटर विदेशी शराब थाना, पौरा के मालखाना में सुरक्षार्थ रखा गया है।</p> <p>पुलिस पदाधिकारी ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि थाने में रखी गई विदेशी शराब का दुरुपयोग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इसे लंबे समय तक जमा रखना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सर्वथा अनुपयुक्त है।</p> <p>अतएव प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 की धारा-57 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 20.25 लीटर विदेशी शराब विनष्ट करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया अपने देख-रेख में निर्धारित प्रक्रियों का पालन करते हुए थाना, पौरा में दर्ज कांड संख्या-196/2019 के आधार पर जप्त की गई शेष कुल-20.25 लीटर विदेशी शराब को विनष्ट करते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में समर्पित करेंगे।</p> <p>इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, पौरा/उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय।</p> <p>लेखाप्रित एवं संशोधित।  समाहर्ता, खगड़िया।</p>	


समाहर्ता, खगड़िया।

<p>आदेश की क्रम सं० और तारीख 1.</p>	<p>आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.</p>	<p>आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित 03.</p>
	<p>डी०बी० नं०551...../विधि, दिनांक...28/8/2019..... प्रतिलिपि:-पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, पौरा/उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि:-जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।</p> <p style="text-align: right;">  प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा, खगड़िया। </p>	